न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28 / 2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी झाझीरामपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 09.12.2004 जिसके तहत प्रार्थी राधेश्याम पुत्र रामजीलाल को ग्राम झाझीरामपुरा में खसरा नम्बर 648 / 503 रकबा 0.15 है. का आवंटन किया गया है)

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांक: 29.08.2024

संक्षिप्त में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम झाझीरामपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में राधेश्याम पुत्र रामजीलाल को भूमि खसरा नम्बर 648 / 503 रकबा 0.15 है. दिनांक 09.12.2004 में कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 52 दिनांक 29.01.2005 से दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2064—67 के खाता संख्या 96 पर गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि की मौका जांच पटवारी हल्का से करवाई जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 18.08.2020 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना पाया तथा मौके पर भूमि पर जंगली धोक के पेड खडे है तथा मौके पर भूमि काश्त नहीं है। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने से एवं मौके पर भूमि काश्त किया जाना नहीं पाये जाने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना पाया जाने के कारण आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी को बार—बार अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थी ना तो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुआ ना ही जवाब पेश किया गया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटी को ग्राम झाझीरामपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र रामजीलाल को भूमि खसरा नम्बर 648 / 503 रकबा 0.15 है. भूमि कृषि प्रयोनजार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की शर्तो के अनुसार दिनांक 09.12.2004 को आवंटित की गई थी। आवंटन की शर्तो के मुताबिक आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष की अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है। इसी शर्त के साथ आवंटी को भूमि आवंटित की गई थी, किन्तु आवंटी का आवंटनशुदा भूमि पर न तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटी द्वारा कोई काश्त की गई। अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि पर मौके पर जंगली धोक के पेड खडे है तथा मौके पर आवंटी द्वारा काश्त नहीं की जा रही है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है जिससे उक्त आवंटन दिनांक 09.12.2004 निरस्त फरमाया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी को खसरा नम्बर 648/503 रकबा 0.15 है. भूमि दिनांक 09.12.2004 को आवंटित की जाकर जरिये नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 29.01.2005 आवंटी राधेश्याम पुत्र रामजीलाल के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड की गई है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 648/503 रकबा 0.15 है. जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 में आवंटी अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र रामजीलाल के नाम गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 18.08.2020 के अनुसार आवंटित की गई भूमि पर मौके पर जंगली धोक के पेड खडे होना एवं अप्रार्थी आवंटी का भूमि पर काश्त नहीं किया जाना व्यक्त करते हुये आवंटी का आवंटन आदेश दिनांक 09.12.2004 निरस्त करने का निवेदन किया गया है, किन्तु तहसीलदार बसवा द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार आवंटन की शर्तो के मुताबिक आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष के अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है, इस शर्त के साथ भूमि आवंटन किया जाना किन्तु आवंटी का उक्त भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटी के द्वारा कोई काश्त की गई। उक्त कथन के सम्बन्ध में आवंटन दिनांक 09.12.2004 के पश्चात् दो वर्ष के अन्दर आवंटित भूमि पर काश्त नहीं करने सम्बन्धित गिरदावरी एवं सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं की गई है। आवंटन के 18 वर्ष बाद पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–76 पेश की गई है। इसलिये आवंटन की शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में आवंटन दिनांक 09.12.2004 के पश्चात दो वर्ष की अपेक्षित तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र 14(4) इसी स्तर पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार बसवा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थी को आवंटित की गई भूमि के सम्बन्ध में पुनः जांच कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में भूमि आवंटन दिनांक 09.12.2004 के पश्चात् अपेक्षित तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त कर यदि तत्कालीन खसरा गिरदावरी एवं पटवारी रिपोर्ट में अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना पाया जाता हो तो अपेक्षित दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र 14(4) पुनः न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। मूल आंवटन अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के भिजवाया जाकर तहसीलदार बसवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:30:02 IST
Reason: SelfAttested